FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) जायल मुकाम

किशोर कुमार बनाम पेमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 88, 188 Rt Act नं. 140 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.8.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 Rt Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/8/19 को पेश हो।	
28/08/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल फर्द तामिल अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 11/09/19 को पेश हो।	
11/09/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल फर्द तामिल अप्राप्त। इन्तजार होकर आगामी दिनांक 16/10/2019 को पेश हो।	
16/10/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल फर्द तामिल अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाढ़ जोधपुर डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 06/11/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:41:04 IST
Reason: SelfAttested

06/11/19 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2 का सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तामील के बावजूद प्रतिवादी अधिकारी हिमायत में समय होने से सीमाप आगामी दिनांक 07/01/2020 को पेश हो। मिसल ईलतवा रखी आगामी दिनांक 07/01/2020 को पेश हो।

07/01/2020 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, प्रतिवादी संख्या-2 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री शिवाकाराम सियाग द्वारा वकालतनामा मय ईकबालीया जवाबदावा पेश किया गया। व वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 वादी स्वयं किशोर कुमार पुत्र पेमाराम जाति-जाट निवासी-जोगासर पटवार हल्का-छीतर का पार, PW-2- भूराराम पुत्र श्री डूंगाराम जाति-जाट निवासी-टीरा की ढाणी तहसील-गिड़ा तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी स्वयं DW-1- पेमाराम पुत्र श्री शिवजी-राम जाति-जाट निवासी-जोगासर पटवार हल्का छीतर का पार तहसील-बायतु के शपथ पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादी एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। तथा वादीगण एंव प्रतिवादी के बीच आपस में पिता व पुत्र का सम्बन्ध है। वादी व प्रतिवादी संख्या-1 की संयुक्त रूप से पुस्तैनी जमीन ग्राम-बाण्डासालर पटवार हल्का छीतर का पार तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर-क्रमशः 470, 554/288, 560/470 रकबा क्रमशः:- 03.00, 24.17, 13.01 बीघा व बाण्डासालर पटवार हल्का-छीतर का पार तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः:- 466, 467 रकबा क्रमशः:- 0.04, 24.09 बीघा की आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या-1 की पुस्तैनी होने से वादी का प्रतिवादी के साथ बराबर बराबर का हक हिस्सा है। ...

पेमाराम
भूराराम

सहायक ... बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:41:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के दादा शिवजीराम पुत्र लालूराम के नाम दर्ज हुई थी। तथा शिवजीराम की फौतगी के पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजी शिवजीराम के पुत्रों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है। परन्तु वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दर्ज नहीं है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या-1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी को प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा अलग परिवार से करके उसके हिस्से में आने वाली जमीन मौके पर बांटकर दी जिसमें वादीगण की रहवासी ढाणी व टांके भी बने हुए है। परन्तु वादी का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं है। इस कारण फसल बिमा करवाने, सहकारी समितियों व बैंकों से ऋण वगैरा लेने में वादी को असुविधा रहती है। तथा उक्त विवादित भूमि में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या-1 उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से को बेचान करने की धमकी देते है व अन्तरण करने के ख्याल मन्शाजी करते है। जिस कारण वादी द्वारा यह घोषणा का वाद पेश किया जाकर वादी को प्रतिवादी संख्या-1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का निवेदन किया गया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री शिवछाराम सियाग द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादी को प्रतिवादी संख्या-1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने में सहमती जाहिर की गई। वादी की ओर से वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 व PW-2 के शपथ-पत्र तथा प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1 का शपथ-पत्र पेश किये गये जिनमें भी वादी का प्रतिवादी संख्या-1 के साथ बराबर-बराबर का हक हिस्सा होना बताया गया। हमने वादी वकील की बहस सुनी पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड चालू जमाबन्दी, मिशल बन्दोबस्त व प्रतिवादी	

सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:41:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	संख्या-1 के द्वारा प्रस्तुत ईश्वालिया जबलडाव तथा वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्रों का अवलोकन करने के बाद उक्त विवादित अराजी में वादी का प्रतिवादी संख्या-1 के साथ बराबर-बराबर का खातेदारी हिस्सा बनना साबित होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित अराजी मौजा बाण्डातालर पटवार मण्डल-छीतर का पार तहसील-बायतु के खेत खसरा नम्बर क्रमशः :- 470, 554/228, 560/470 रकबा क्रमशः :- 03.00, 24.11, 13.01 बीघा व मौजा-बाण्डातालर पटवार मण्डल-छीतर का पार तहसील-बायतु के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 466, 467 रकबा-क्रमशः 0.04, 24.09 बीघा भूमि में वादिया को प्रतिवादी संख्या-1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा जारी होकर पुस्तावली कामल कुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मुकदमा नं. 140/...

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:41:04 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

Jud/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. श्री विवेक व्यास R.A.S. मुकाम बायतु

..स किशोर कुमार बनाम पेमाराम वगैरा

..बाबत धारा 88,188 RTAct

मुकदमा नं. 140/19 सन् 2019

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री खेताराम जाखड़ एड० मिनजानिब मुवई व —

श्री रिणछाराम सियाग एड० मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी

दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा-बांडातालर तहसील-बायतु के खेत खसरा नम्बर क्रमंश:- 470, 554/228, 560/470 रकबा क्रमंश:- 03.00, 24.11, 13.01 बीघा व मौजा-बांडातालर पश्चात मूल-छीतर का पार तहसील-बायतु के खेत खसरा नम्बर क्रमंश:- 466, 467 रकबा क्रमंश:- 0.04, 24.09 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या-1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

कौम.................... मुबलिंग.................... बाबत्....................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह.................... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 01 2020 को जारी की गई।

दस्तखत [signature] 7.1.2020

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराल हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकाललनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराज हुकमनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या न, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:41:04 IST
Reason: SelfAttested

सेवा में

वादी बनाम प्रतिवादी

1. किशोर कुमार पुत्र पेमाराम
जाति-जाट निवासी-जोगासर
पटवार हल्का-छीतर का पार
तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर

प्रतिवादी

1. पेमाराम पुत्र शिवजीराम
जाति-जाट निवासी-जोगासर
पटवार हल्का-छीतर का पार
तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर

2. शाखा प्रबन्धक BCCB बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:41:04 IST
Reason: SelfAttested